



Indian-Non Judicial Stamp Haryana Government



Date: 18/02/2017

Registration No. Q0R2017B17

Stamp Duty Paid : ₹ 169500
(Rs. Only)

No. 23977741



Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Ram Pal

Floor: 0

Sector/Ward: 0

LandMark: Kabri

Village: Panipat

District: Panipat

State: Haryana

Pin: 9812082303



Buyer / Second Party Detail

Name: Krishan Lal

Floor: 652

Sector/Ward: 6

LandMark: Panipat

Village: Panipat

District: Panipat

State: Haryana

Pin: 0

Use: STAMP DUTY FOR REGISTRATION OF SALE DEED OF PROPERTY SITUATED AT VILLAGE KABRI
PANIPAT TEHSIL AND DISTRICT PANIPAT

The authenticity of this document can be verified by scanning this QR Code on a smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

विक्रय पत्र कृषि भूमि बदले मु० 28,00,000/-रु स्थित ग्राम काबडी जिला पानीपत।

कलैक्टर रेट 36,36,000/-रु

स्टाम्प : 1,69,500/-रु

स्टाम्प : GRN : 23977741

सरटीफिकेट क्रमांक : Q0R 2017B17 / E-STAMP

NDC No. 354 Dated 13-02-2017

किस्म : कृषि-भूमि

रकबा : 7 कनाल 9 मरले 2 सरसाई।

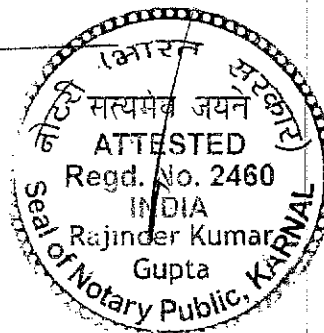
वाका : ग्राम काबडी जिला पानीपत।

हम रामपाल पुत्र श्री हुकम चन्द निवासी ग्राम काबडी तहसील व जिला पानीपत विक्रेता, जिसको/जिनको इस प्रलेख में प्रथम पक्ष कहा गया है।

बहक

कृष्ण लाल पुत्र श्री जयभगवान निवासी मकान नम्बर 652 सैक्टर-6 हुडा पानीपत, केता, जिसको इस प्रलेख में द्वितीय पक्ष कहा गया है।

रामपाल प्रोबवा
True Copy Attested



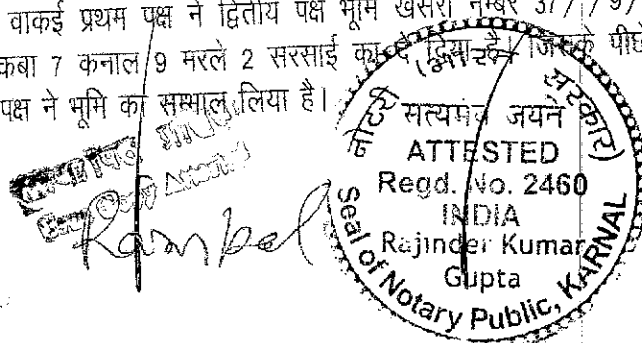
02 FEB 2017

जो कि मैं सावधान होकर लिख देता हूँ कि परस्पर रजामन्दी से यह विक्रय पत्र का प्रलेख निम्नलिखित पैराज/ब्योरा के अनुसार लिख देता हूँ जिन पर मैं व मेरे उत्तराधिकारीगण एवं मेरे रिश्तेदार एवं मेरे सम्बंधीगण एवं मेरे से सम्पर्क रखने वाले व्यक्तिगण पाबंद रहेगे :

- 1- यह कि कृषि भूमि खेवट नम्बर 112 खतोनी नम्बर 141 दर खसरा नम्बर : 37//9/2/2, 11, 12/1
2-4 7-11 8-18
19/2, 20/1, 61//1/3, 9, 10, 11, 62//5, 6,
1-11 1-12 1-2 8-0 8-0 8-0 7-12 7-12
294/2, 295/2, किते 13 रकबा 57 कनाल 11 मरला का 1343/10359 भाग बाकदर रकबा 7 कनाल
0-4 0-5
9 मरले 2 सरसाई, बाका ग्राम काबडी तहसील व जिला पानीपत मुताबिक जमाबन्दी 2014-2015 प्रथम पक्ष की मलकीयत है।
- 2- यह कि उपरोक्त कृषि भूमि प्रथम पक्ष की ओर से प्रत्येक ऋण से मुक्त है तथा किसी भी बैंक/विभाग/फर्म/कम्पनी/व्यक्ति के पास पलैज या गारन्टी में नहीं है एवं हर प्रकार के कानूनी नुक्स से پاک व साफ है। इससे पूर्व किसी प्रकार का कोई ऐग्रीमेंट भी इस भूमि का नहीं कर रखा है। इस भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय या विभाग में लम्बित ना है।
- 3- यह कि प्रथम पक्ष ने किसी के दबाब में या बहकाव में आकर के उक्त कृषि भूमि केता को पास नहीं बेचा, बल्कि अपनी इच्छा से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए खरीददार के साथ सौदा किया है।
- 4- यह कि अब प्रथम पक्ष ने अपनी मर्जी से अपनी स्वतन्त्रमति से उपरोक्त कृषि भूमि रास्ता-खाल-सिंघाई व सभी अधिकारों सहित व हक, सर्वाधिकारों सहित, मलकीयती अधिकारों सहित बदले मु० 28,00,000/-रु अर्द्धे जिनके मु० 14,00,000/-रु होते हैं पास कृष्ण लाल पुत्र श्री जयभगवान पुत्र श्री छोटू राम निवासी मकान नम्बर 652 सैक्टर-6 हुडा पानीपत/द्वितीय पक्ष विक्रय कर दिया है।
- 5- यह कि सालम राशि 28,00,000/-रु ! अठाईस लाख रुपये! बजरिया:

चैक नम्बर	दिनांक	राशि	बैंक
008218	21-02-2017	3,00,000/-रु	सैन्ट्रल बैंक
008219	22-02-2017	12,50,000/-रु	सैन्ट्रल बैंक
008220	22-02-2017	12,50,000/-रु	सैन्ट्रल बैंक

पहले ही घर पर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से रूबरू गवाहान वसूल पा चुका है, यानि कि प्रथमपक्ष ने फुल एण्ड फाईनल पेमेन्ट वसूल पा ली है। प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष से कुछ भी लेना शेष नहीं रहा है।
- 6- यह कि इस प्रकार द्वितीय पक्ष उपरोक्त कृषि भूमि 7 कनाल 9 मरले 2 सरसाई का पूर्ण स्वामी खुद खरीदकर्ता हो गया है, इसलिए उस का उक्त भूमि SELF ACQUIRED मानी जावेगी। अतः द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि को हर तरह से परिवर्तित/ट्रान्सफर कर सकेगा।
- 7- यह कि इस प्रकार प्रथम पक्ष का एवं उसके उत्तराधिकारी एवं अन्य सम्बंधीगण का कोई सम्बंध उक्त भूमि से नहीं रहा है।
- 8 यह कि कब्जा मौका पर वाकई प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष भूमि खसरा नम्बर 37//9/2/2, 11, 12/1, 19/2, 20/1 में से रकबा 7 कनाल 9 मरले 2 सरसाई का दे दिया है/जिनके पीछे 2 करम का रास्ता लगता है। कब्जा द्वितीय पक्ष ने भूमि का सम्भाल लिया है।



02 FEB 2021

- 9- यह कि इस विक्रय पत्र का प्रत्येक खर्चा द्वितीय पक्ष ने दिया है। यदि विक्रय की गई भूमि की मलकीयत में कोई नुकस या ऋण पावेगा या कोई अन्य व्यक्ति हकदार बनकर विवाद करेगा तो प्रथम पक्ष व उसकी चल व अचल सम्पति हर प्रकार से जिम्मेवार रहेगी और खरीददार की इच्छानुसार हकरसी करने के पाबंद रहेंगे।
- 10- यह कि प्रथम पक्ष की अनुपस्थिति में इस प्रलेख के आधार पर द्वितीय पक्ष के पक्ष में, रवैन्दु आफिसर महोदय को, उक्त कृषि भूमि का दाखिल खारिज करने का स्वतन्त्र अधिकार होगा।
- 11- यह कि भविष्य में प्रथम पक्ष या उसका कोई भी उत्तराधिकारी कथित रकबा सेल के संबंध में कोई विवाद या चुनौती भी नहीं कर सकेगा।
- 12- यह कि प्रथमपक्ष यह विक्रय पत्र बिना किसी बहकाव व दबाव अपनी इच्छा से विक्रय कर रहा है, इस प्रलेख को मैंने भली भाँति पढ़ व सुन, समझ लिया है, जो बिल्कुल ठीक मानकर प्रथमपक्ष विक्रय पत्र पंजीकरण के लिए तहसील कार्यालय पानीपत में आया है।
- 13- यह कि क्रेता/खरीददार ने मलकीयती के असल कागजात देख लिए हैं, और खरीददार ने मलकीयती की मौका से पूर्णतयः तसल्ली कर ली है, जिसमें कोई त्रुटि ना है, एवम इस जायदाद बैयनामा बारे किसी भी सैन्ट्रल एक्ट वा लोकल एक्ट की उल्लंघना नहीं की जा रही है।
- 14- यह कि क्रेता व विक्रेता द्वारा हरियाणा डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन आफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 7(ए) की उल्लंघना नहीं की गई है। जो स्टाम्प कीमत से अधिक लगाए है, उसकी बाबत हम सरकार से कोई क्लेम या विवाद नहीं करेंगे।
- 15- यह कि बैयनामा पूर्ण रूप से हम दोनों फरीकैन के बताए गये तथ्यों व हमारे द्वारा दिए गये दस्तावेजों के आधार पर लिखा गया है, जिसके हम दोनों फरीकैन पूर्ण रूप से हर तरह से पाबंद व जिम्मेवार रहेंगे।
- अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

दिनांक 22/12/17

डाफटेड बाई :

Manoj Miglani
Advocate

Reg. No. 167 Date 22/12/17

प्रथम पक्ष/विक्रेता

द्वितीय पक्ष/क्रेता

गवाहान

रामपाल उक्त

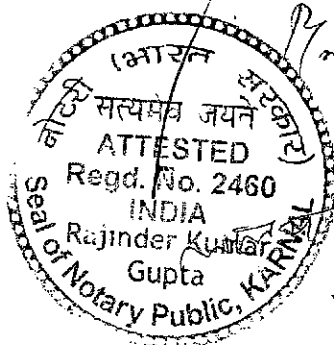
कृष्ण लाल उक्त

Rampal

K. Garg

21/12/17

810



35 G. B. C.

22/12/17

02/12/17



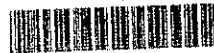
Indian-Non Judicial Stamp Haryana Government



Date : 21/02/2017

Certificate No. Q0U2017B7

GRN No. 24449655



Stamp Duty Paid : ₹ 83000
(Rs. Only)

Penalty : ₹ 0

(Rs. Zero Only)

Seller / First Party Detail

Name: Poonam

H.No/Floor : 0

City/Village : Panipat

Phone: 0

Sector/Ward : 0

District : Panipat

Others : Sakshi vikas subham

LandMark : Kabri

State : Haryana



Buyer / Second Party Detail

Name : Govind Ram

H.No/Floor : 0

Village: Panipat

Phone : 0

Sector/Ward : 0

District : Panipat

LandMark : Virat nagar

State : Haryana

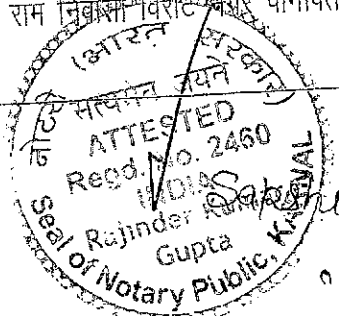
Purpose : STAMP DUTY FOR REGISTRATION OF SALE DEED OF PROPERTY OF SITUATED AT VILLAGE KABRI
PANIPAT TEHSIL AND DISTRICT PANIPAT

The authenticity of this document can be verified by scanning this QR Code Through smart phone or on the website <https://egrashry.nic.in>

बैनामा जरई
विक्रय पत्र कृषि भूमि बदले मु0 15,00,000/-रु स्थित ग्राम काबडी जिला पानीपत।
कलैक्टर रेट 36,36,000/-रु
स्टाम्प : 83,000/-रु
स्टाम्प : GRN : 24449655
सरटीफिकेट क्रमांक : Q0U2017B7 /E-STAMP
NDC No. 351 Dated 13-02-2017
किस्म : कृषि भूमि
रकबा : 3 कनाल 12 मरले 7 सरसाई।
वाका : ग्राम काबडी जिला पानीपत।

हम पुनम - साक्षी पुत्रीयान व विकास - शुभम पुत्रगण श्री रिशी पाल निवासीगण ग्राम काबडी तहसील व जिला पानीपत विक्रेता, जिसको/जिनको इस प्रलेख में प्रथम पक्ष कहा गया है।

गोबिन्द राम पुत्र श्री सेवा राम पुत्र श्री रति राम निवासी विराट नगर पानीपत, केता, जिसको इस प्रलेख में द्वितीय पक्ष कहा गया है।



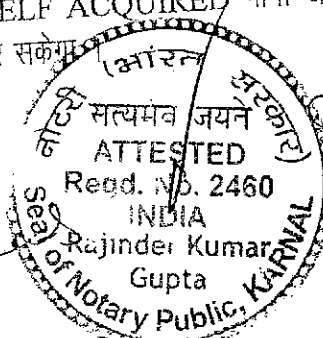
Subham

02 FEB 2017

जो कि मैं सावधान होकर लिख देता हूँ कि परस्पर रजामन्दी से यह विक्रय पत्र का प्रलेख निम्नलिखित पैराज/ब्योरा के अनुसार लिख देता हूँ जिन पर मैं व मेरे उत्तराधिकारीगण एंव मेरे रिश्तेदार एंव मेरे सम्बंधीगण एंव मेरे से सम्पर्क रखने वाले व्यक्तिगण पाबंद रहेगे :

- 1- यह कि कृषि भूमि खेवट नम्बर 112 खतोनी नम्बर 141 दर खसरा नम्बर : 37//9/2/2. 11, 12/1
2-4 7-11 3-18
19/2, 20/1, 61//1/3, 9, 10, 11, 62//5, 6,
1-11 1-12 1-2 8-0 8-0 8-0 7-12 7-12
294/2, 295/2, किते 13 रकबा 57 कनाल 11 मरला का 655/10359 भाग बाकदार रकबा 3 कनाल
0-4 0-5
12 मरले 7 सरसाई, वाका ग्राम काबडी तहसील व जिला पानीपत मुताबिक जमाबन्दी 2014-2015 प्रथम पक्ष की मलकीयत है।
- 2- यह कि उपरोक्त कृषि भूमि प्रथम पक्ष की और से प्रत्येक ऋण से मुक्त है तथा किसी भी बैंक/विभाग/फर्म/कम्पनी/व्यक्ति के पास पलैज या गारन्टी में नहीं है एंव हर प्रकार के कानूनी नुक्स से پاک व साफ है। इससे पूर्व किसी प्रकार का कोई ऐग्रीमेंट भी इस भूमि का नहीं कर रखा है। इस भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का कोई विवाद किसी भी न्यायालय या विभाग में लम्बित ना है।
- 3- यह कि प्रथम पक्ष ने किसी के दबाब में या बहकाव में आकर के उक्त कृषि भूमि केता को पास नहीं बेचा, बल्कि अपनी इच्छा से अपनी जरूरतों को पुरा करने के लिए खरीददार के साथ सौदा किया है।
- 4- यह कि अब प्रथम पक्ष ने अपनी मर्जी से अपनी स्वतन्त्रमति से उपरोक्त कृषि भूमि रास्ता-खाल-सिंचाई व सभी अधिकारों सहित व हक सर्वाधिकारों सहित, मलकीयती अधिकारों सहित बदले मु० 15,00,000/-रु आधे जिनके मु० 7,50,000/-रु होते हैं पास गोबिन्द राम पुत्र श्री सेवा राम पुत्र श्री रति राम निवासी विराट नगर पानीपत/द्वितीय पक्ष विक्रय कर दिया है।
- 5- यह कि सालम राशि 15,00,000/-रु ! पन्द्रह लाख रुपये! बजरिया:
चैक नम्बर दिनांक राशि बैंक
003480 21-02-2017 2,00,000/-रु ओ.बी.सी बैंक पानीपत।
003481 22-02-2017 13,00,000/-रु ओ.बी.सी बैंक पानीपत।
पहले ही घर पर प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष से रूबरू गवाहान वसूल पा चुका है, यानि कि प्रथमपक्ष ने फुल एण्ड फाईनल पेमेन्ट वसूल पा ली है। प्रथमपक्ष द्वारा द्वितीयपक्ष से कुछ भी लेना शेष नहीं रह गया है।
6- यह कि इस प्रकार द्वितीय पक्ष उपरोक्त कृषि भूमि 3 कनाल 12 मरले 7 सरसाई का खरीदकर्ता हो गया है, इसलिए उस का उक्त भूमि SELF ACQUIRED मानी जावेगी। अतः द्वितीय पक्ष उपरोक्त भूमि को हर तरह से परिवर्तित/ट्रान्सफर कर सकेगा।

Sakshi : MK



02 FEB 2022

- 7- यह कि इस प्रकार प्रथम पक्ष का एंवम उसके उत्तराधिकारी एंवम अन्य सम्बंधीगण का कोई सम्बंध उक्त भूमि से नहीं रहा है।
- 8 यह कि कब्जा मौका पर वाकई प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष भूमि खसरा नम्बर 37//9/2/2, 11, 12/1, 19/2, 20/1 ने से रकबा 3 कनाल 12 मरले 7 सरसाई का दे दिया है। जिसके पीछे 2 करम का रास्ता लगता है। कब्जा द्वितीय पक्ष ने भूमि का सम्भाल लिया है।
- 9- यह कि इस विक्रय पत्र का प्रत्येक खर्चा द्वितीय पक्ष ने दिया है। यदि विक्रय की गई भूमि की मलकीयत में कोई नुक्स या ऋण पावेगा या कोई अन्य व्यक्ति हकदार बनकर विवाद करेगा तो प्रथम पक्ष व उसकी चल व अचल सम्पति हर प्रकार से जिम्मेवार रहेगी और खरीददार की इच्छानुसार हकरसी करने के बाबंद रहेगी।
- 10- यह कि प्रथम पक्ष की अनुपस्थिति में इस प्रलेख के आधार पर द्वितीय पक्ष के पक्ष में, रवैन्नु आफिसर महोदय को, उक्त कृषि भूमि का दाखिल खारिज करने का स्वतन्त्र अधिकार होगा।
- 11- यह कि भविष्य में प्रथम पक्ष या उसका कोई भी उत्तराधिकारी कथित रकबा सेल के सम्बंध में कोई विवाद या चुनोती भी नहीं कर सकेगा।
- 12- यह कि प्रथमपक्ष यह विक्रय पत्र बिना किसी बहकाव व दबाव अपनी इच्छा से विक्रय कर रहा है, इस प्रलेख को मैंने भली भांति पढ़ व सुन, समझ लिया है, जो बिल्कुल ठीक मानकर प्रथमपक्ष विक्रय पत्र पंजीकरण के लिए तहसील कार्यालय पानीपत में आया है।
- 13- यह कि क्रेता/खरीददार ने मलकीयती के असल कागजात देख लिए हैं, और खरीददार ने मलकीयती की मौका से पूर्णतयः तसल्ली कर ली है, जिसमें कोई त्रुटि ना है, एंवम इस जायदाद बैयनामा बारे किसी भी सैन्टल एक्ट वा लोकल एक्ट की उल्लंघना नहीं की जा रही है।
- 14- यह कि क्रेता व विक्रेता द्वारा हरियाणा डेवलपमेंट एण्ड रेगुलेशन आफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की धारा 71ए की उल्लंघना नहीं की गई है। जो स्टाम्प कीमत से अधिक लगाए हैं, उसकी बाबत हम सरकार से कोई क्लेम या विवाद नहीं करेंगे।
- 15- यह कि बैयनामा पूर्ण रूप से हम दोनों फरीकैन के बताए गये तथ्यों व हमारे द्वारा दिए गये दस्तावेजों के आधार पर लिखा गया है, जिसके हम दोनों फरीकैन पूर्ण रूप से हर तरह से बाबंद व जिम्मेवार रहेगी।
- अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे।

दिनांक २२/२/१७

डाफटिड बाई :

Mahesh Mishra
Reg. No. 169, Date 22/2/17

प्रथम पक्ष/विक्रेता

द्वितीय पक्ष/क्रेता

गवाहान

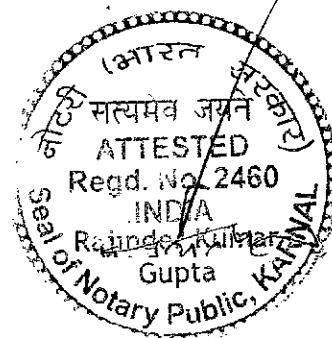
Sakshi

Subham

WIKES

Gudla R

21/02/17



गवाहान
21/02/17

02 FEB 2017